

**USRLM द्वारा गठित संकुल स्तरीय फेडरेशनो (CLFs)को ग्रामीणउद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) अन्तर्गत CLFसे CLF-LC में परिवर्तित करने हेतु दिशा निर्देश**

ग्रामीणउद्यम वेग वृद्धि परियोजना के समावेशी संकुल विकास घटक के अंतर्गत सामुदायिक संगठनों का संस्थागत सशक्तिकरण किया जाना है। इसके अन्तर्गत यू.एस.आर.एल.एम. की 440 पंजीकृत संकुल स्तरीय फेडरेशनो (CLFs) को CLFs से CLF-LCs में परिवर्तित किया जाना है व CLFs अन्तर्गत व्यापारिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्टाफ रखने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की Startup Workshop के दौरान IFAD के Implementation Support Mission (ISM) द्वारा इन-CLFs को REAP के अन्तर्गत लेने/अंगीकरण करने के मानदण्डों का संशोधन किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **Registration of CLF under SRC act 2003 and amend by laws to include Nominal Members:** - संकुल स्तरीय फेडरेशन उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अंतर्गत पंजीकृत हो व युवाओं, प्रगतिशील किसानों को Nominal सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए सहमत हो जिससे कि CLF को व्यापारिक गतिविधियों में अन्य सदस्यों को भी जोड़कर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया एवं सप्लाई चैन के कार्यों को सुगम बनाया जा सके।
2. **Establishment of Federation office at Suitable Place:** - USRLM द्वारा CLF के कार्यालय को ऐसी उपयुक्त जगह पर स्थापित किया हो अथवा जाए जहाँ से CLF-LC की व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके और CLF के सदस्यों के उत्पादों को लाया अथवा ले जाया जा सके अर्थात् सुगमता से कम व्यय पर ढुलान किया जा सके।
3. **Availability of office equipment – Furniture, Fixture, Computer etc:-** CLF में equipment (कम्प्यूटर सिस्टम, कुर्सी मेज) की व्यवस्था USRLM के वित्तीय सहयोग से होनी थी, जो कि वित्तीय आभाव के कारण नहीं हो पाई। उक्त के दृष्टिगत IFAD के Supervision Mission द्वारा CLF की Documentation, Tally व MIS, के महत्व को देखते हुए IFAD Mission द्वारा REAP परियोजना से पंजीकृत CLF-LCs को Computers, printer and software देने की संस्तुति की गई है। इस क्रम में CLF-LCs को Computers, printer and software खरीदने हेतु वित्तीय सहयोग परियोजना से किया जायेगा इसके अतिरिक्त ऑफिस के लिए मेज, कुर्सी, दरी इत्यादि की व्यवस्था CLF से USRLM को स्वयं करानी होगी।
4. **Appointment of Competent Accountant Cum DEO:-** CLF के Accounts एवं अन्य दस्तावेजों को व्यवस्थित करने हेतु REAP के Design Document के अनुसार Accountant की नियुक्ति CLF के माध्यम से की जानी थी, जिसका वहन Start Up Fund से CLF द्वारा किया जाना था। IFAD Supervision Mission के क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह महसूस किया कि CLF में कुशल Accountant होना चाहिए जो कि CLF के व्यापारिक गतिविधियों का दस्तावेजी ठीक से कर सके व MIS के कार्य भी ससमय पूर्ण कर सके। उक्त के मध्येनजर CLF के वर्तमान Accountant (यदि है तो) को प्रशिक्षित करने व REAP परियोजना अन्तर्गत की गई गतिविधियों, व्यापारिक गतिविधियों को सही रूप से व्यवस्थित करने हेतु IFAD Supervision Mission द्वारा CLF में 3 वर्ष तक tapering basis पर Accountant रखने हेतु संस्तुति की गई है। इस क्रम में Accountant Cum DEO हेतु वित्तीय सहयोग (रु० 12,000 प्रतिमाह) REAP परियोजना द्वारा किया जायेगा, व CLF द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों (CLF स्टाफ प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शिका) के क्रम में इसका चयन किया जायेगा।

- 5- Completion of Training leadership and CLF management and collection of share capital from individual members:** -ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अन्तर्गत CLFs को CLF-LCs में परिवर्तित करने हेतु CLF पंजीकरण, आधारीय प्रशिक्षण जैसे नेतृत्व विकास, CLF प्रबंधन, व्यक्तिगत रूप से शेयर जमा कर अंशधारक जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से USRLM Staff द्वारा किया जाना है। REAP परियोजना द्वारा CLF-LC में जोड़े गये व्यक्तिगत शेयरधारकों को Equity Matching Grant जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर से दी जायेगी। Matching Grant दो चरणों में दी जायेगी जिसमें प्रथम चरण में शेयरधारक द्वारा रू0 500.00 जमा करने के उपरान्त रू0 500.00 Matching Grant उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार दूसरे चरण में रू0 500.00 शेयरधारक द्वारा जमा होन पर रू0 500.00 की Matching Grant परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। शेयरधन के सापेक्ष CLF-LC द्वारा शेयरधारक को प्राप्ति रसीद व अंश प्रमाण पत्र (Share Certificate) उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- Good Governance System- At least 8 BoD meeting in last Financial year with Substantial Participation and with proper Documentation:** -उक्त बिन्दु के अन्तर्गत USRLM से CLF में एक अच्छे स्वशासन (Good Governance) की अपेक्षा की गयी है जिसके अन्तर्गत CLF में निदेशक मण्डल की एक वर्ष में कम से कम 12 मीटिंगों का आयोजन होना चाहिए, जिसमें आधे से अधिक निदेशक मण्डल के सदस्यों की उपस्थिति व उसका उचित दस्तावेजीकरण किया गया हो।

उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण करने वाली संकुल स्तरीय फेडरेशन को ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना में संकुल स्तरीय फेडरेशन-आजीविका संघ (CLF-LC) के नाम से जाना जायेगा।

#### CLF से CLF –LC बनाने/परिवर्तित करने हेतु प्रक्रिया

1. DPM-REAP एवं APD/DMM- USRLM द्वारा CLF को CLF-LC में परिवर्तित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से नियोजन किया जाये।
2. CLF से CLF-LC में परिवर्तित होने वाली इच्छुक CLF के निदेशक मण्डल के साथ बैठक कर CLF में युवाओं, प्रगतिशील किसानों को Nominal सदस्य के रूप में जोड़ने के प्रस्ताव पारित कर उनकी नियमावली में यथोचित संशोधन कर लिया जाये।
3. CLF को ILSP अन्तर्गत गठित अच्छा काम करने वाले आजीविका संघों में भ्रमण करवाकर उन्हें अनुभवों से लाभान्वित किया जाये।
4. CLF-LC में व्यापारिक गतिविधियां करना अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है इसलिए REAP एवं USRLM द्वारा दिये जाने वाले Funds अन्तर्गत मानव संसाधन रखने हेतु योजना बनायी जाये (गार्डलाईन को पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है)।
5. CLF से CLF-LC में परिवर्तित CLF को REAP अन्तर्गत मानदेय व गतिविधियों के संचालन हेतु अलग-अलग बैंक खाता खोलना होगा व अलग से Accounts को Maintain करना होगा जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की लेन-देन व ऑडिट सम्बन्धी समस्या न हो। सुरक्षा एवं सहयोग के दृष्टिगत गतिविधि खाते में DPM-REAP द्वारा नामित REAP स्टॉफ संयुक्त हस्ताक्षरी हो सकते हैं।
6. CLF के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ REAP की गतिविधियों में प्रतिभाग करने व वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु जिला परियोजना प्रबन्धक UGVS- REAP के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

7. District Teams (REAP & USRLM) वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक व्यापार योजना का निर्माण करेंगे एवं PMU से व्यापारिक योजना की धनराशि प्राप्त करने हेतु अनुरोध करेंगे।
- 8- REAP शुरूआती चरण में CLF-LC को REAP अन्तर्गत निर्धारित धनराशि का 50% मानव संसाधन रखने हेतु दिया जायेगा व अवशेष 50% धनराशि वर्ष के अन्त में उनके द्वारा व्यापारिक योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि एवं सदस्यों से अंश पूँजी प्राप्त करने के लक्ष्यों को पूर्ण करने के उपरान्त दिया जायेगा अथवा REAP - PMU द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में किया जायेगा।